

SHRI SRIKANTA JENA: I have already said that the decision of the Home Minister has already been conveyed to the Government of Tamil Nadu. The hon. Member says that it has not been implemented. That is why I can only assure him that I would certainly convey his feelings to the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is too much. ...*(Interruptions)*. That is very bad. Now, let me take up other work. ...*(Interruptions)*.... That is enough, enough, enough. I have got other Business also. ...*(Interruptions)*.... Go back to your seats. Your leader is speaking; the Minister is responding. I have given you more than one-and-a-half hour to speak on this issue. What more do you want? ...*(Interruptions)*.... The Minister is answering. Please sit down. ...*(Interruptions)*....

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिब, एक मिनट मुझे दें आपको एयोर करना चाहिए, कन्वे करने से क्या होता है। ...*(व्यवधान)*... कन्वे का क्या मतलब है ...*(व्यवधान)* आप जिम्मेदारी के साथ कहिए कि हम इंसोर करेंगे कि उनको प्रोपर सिक्कोरिटी मिलेगी। यह कन्वे करना क्या है? जिम्मेदारना बात करें। यह क्या बात हुई। ...*(व्यवधान)*...

اگر شری سکندر بخت: صدر صاحب ایک منٹ مجھے دیں۔ آپ کو اینشور کرنا چاہیے
 نگوئے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔۔۔ "مداخلت"
 نگوئے کا کیا مطلب ہے۔۔۔ "مداخلت"
 آپ ذمہ داری کے ساتھ کہئے کہ ہم اینشور
 کریں گے کہ انکو پروپر سیکیورٹی ملے گی۔ یہ
 نگوئے کرنا کیا ہے۔ ذمہ دارانہ بات کریں۔
 یہ کیا بات ہوئی۔

उपसभापति: सिकन्दर साहब, वह होम मिनिस्टर नहीं है।

SHRI SRIKANTA JENA: I would just like to inform the hon. Leader of the Opposition that the Home Minister has already taken a decision so far as security to Miss Jayalalitha is concerned. As for the leader of the AIADMK, he has said that this decision has not been implemented. That is his allegation. Madam, I will certainly convey it to the Home Minister. That is all. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are the Minister of parliamentary Affairs. It is your duty to convey to the Government what happens in Parliament. The word 'convey' is all right as far as you are concerned. You have given an assurance very sincerely that you would do it. It is a serious matter. That is why the Members are very concerned about her safety and security because proper protection is not being given to her. You convey it; it is all right. But ensure that it is not mere 'conveying'. Some action should be taken. The Home Minister should see to it that the State Government complies with it. Now, that matter is over.

RE-ALLEGED NEGLECT OF HINDI AT THE FUNCTION TO COMMEMORATE THE 50TH ANNIVERSARY OF THE FIRST SITTING OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदया, आज सुबह संविधान सभा की पचासवीं वर्षगांठ का समारोह बड़ी धूमधाम से बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सारा कार्यक्रम, सभी भाषण केवल अंग्रेजी में किए गए हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त हुए हैं लेकिन अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। पिछले हफ्ते इसी सदन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को एक दक्षिण भारतीय मंत्री श्री बोम्मई ने रखा है और दक्षिण भारत के हनुमन्तप्पा जी, नारायणसामी जी तथा हम उसका समर्थन करते आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सारे कार्यक्रम, सारे भाषण अंग्रेजी में हुए। राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रपताका को हम सम्मान देते हैं, राष्ट्रगीत को हम सम्मान देते हैं

लेकिन राष्ट्रभाषा का ऐसा अपनमान कभी इस सदन में और सेंट्रल हॉल में नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। यह शर्म और लज्जा की बात है।

श्री राजनाथ सिंह: (उत्तर प्रदेश) मैडम, हम अपने आप को इससे सम्बद्ध करते हैं। ... (व्यवधान)....

उपसभापति: भंडारी जी ने नाम दिया है। रामदेव भंडारी जी बोलिए। आपको हिंदी में बोलना चाहिए।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): डॉ वाई लक्ष्मी प्रसाद द्वारा जो उल्लेख किया गया है। इस सदन में, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैडम, जब भी ज्वाइंट सेशन हुआ है और राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है, उनका भाषण हिंदी में भी हुआ है। हम हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के बारे में चर्चा हुई थी। राष्ट्रपति जी ने संसदीय राजभाषा समिति के चार प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

उपसभापति: अब राष्ट्रपति जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होगी इस हाऊस में। हमारी ऐसी परम्परा रही है।

श्री रामदेव भंडारी: मैडम, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ।

उपसभापति: सरकार ने नहीं बोला है।

श्री रामदेव भंडारी: इस कार्यक्रम का आयोजन तो सरकार ने किया होगा?

उपसभापति: हम आपको समझा दें कि क्या हुआ है। कार्यक्रम का आयोजन पार्लियामेंट की तरफ से हुआ और उसमें सभी लोग अंग्रेजी में बोले। ठीक है, मैं आपकी भावना समझती हूँ। मैं खुद हिंदी में बोलती हूँ। देखिए, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आपसे। आपने अपनी बात कह दी। कौन क्यों नहीं। कैसे नहीं बोला, किसने नहीं किया। ये सब बातें हम रिकॉर्ड में नहीं रखते। इसलिए आप सिर्फ हिंदी से जुड़ जाइए।

श्री रामदेव भंडारी: मैडम, मैं चाहता हूँ कि हिंदी का सम्मान और हिंदी की प्रतिष्ठा बनी रहे। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह का असम्मान प्रकट नहीं करना चाहिए, यह मेरी भावना है और यही बात मैं आपके माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ।

उपसभापति: आपकी भावना का मैंने बहुत ख्याल कर लिया है।

श्री ओ० पी०कोहली: (दिल्ली): मैडम, मैं भी अपने आप को इनसे सम्बद्ध करता हूँ।

उपसभापति: सब करते हैं। हम सब लोग इंडियन है। Now, we will take up the Income Tax (Amendment) Bill, 1996. Hon. Minister, Mr. Chidambaram, is with us. We had taken a decision that it has a very limited scope and we are not going to have any discussion on it. Mr. Minister, you just move the motion, I will pass it.

THE INCOME TAX (AMENDMENT) BILL, 1996.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I rise to move: That the Bill further to amend the Income Tax Act, 1961, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I have an amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is the amendment(interruptions) Then I have a discussion on that and I will make you to sit till 8.00 o'clock(interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) The Government of India has extended 100% deduction, under Section 80 G of the Income Tax Act, to donations made to this fund by promulgating an Ordinance on the 14th November, 1996, to amend the Income Tax Act, 1961. We took the step in view of the large-scale damage to property and to demonstrate our solidarity with the people and the Government of Andhra Pradesh during the time of distress. Now, I move the Income Tax (Amendment) Bill, 1996, as passed by the Lok Sabha to replace the Ordinance. Madam, I hope, this will help in generating enough funds to meet the relief and rehabilitation of cyclone affected people. I request the hon. Members to pass this Bill without any discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chidambaram, Mr. Narayanasamy, wanted to move an amendment. He feels that you are only talking about Andhra Pradesh, while this cyclone had no limitation of its damage and it has also dam-